कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।

अल्पकालीन निविदा सूचना (प्रेस विज्ञप्ति)

पत्रांक – 3359/11ए **दिनांक – 17.08.2015**

1. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ए,बी,सी, एवं डी श्रेणी जैसी भी स्थिति हो में पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों पर अधोलिखित कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित करते हैं। निविदादाता किसी एक अथवा सभी कार्यो हेतु निविदा जमा कर सकता है।

2.

क्र0 सं0	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधिशासी अभियंता कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियंता कार्यालय का पता	जिलाधिकारी कार्यालय का पता	मुख्य अभियंता कार्यालय का पता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत										
1.	हाथरस	जटोई से राया सादाबाद मार्ग का नवनिर्माण कार्य	**20.00**	**2.00**	500+ 300+ VAT	45 दिन	अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।	अधीक्षण अभियंता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़	जिलाधिकारी, हाथरस	मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0 वि0, आगरा
2.		मथुरा सादाबाद मार्ग स्थित विसावर हॉस्पीटल से नगला भंगड़ी मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	**17.00**	**1.70**	500+ 300+ VAT	45 दिन				
3.		आगरा अलीगढ़ मार्ग से पापरी मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	**22.00**	**2.20**	500+ 300+ VAT	45 दिन				
4.		गहचौली से बनका गांव तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	**36.00**	**3.60**	500+ 300+ VAT	2 माह				
5.		मई कुरसण्डा से नगला मिठास, नगला ध्यान होकर अनगदा मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	**20.50**	**2.05**	500+ 300+ VAT	1 माह				

3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुये कॉलम नं0 7 में वर्णित है।

4. निविदा की वैघता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापिस नहीं ली जा सकती है।

5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय जैसा कि टेबिल के कॉलम 8, 9, 10 एवं 11 में क्रमशः एवं कार्य के अनुसार निर्दिष्ट है, से दिनांक **01.09.2015** से **07.09.15** तक प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में गैर वापिसी शुल्क, रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) स्टेशनरी शुल्क हेतु एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा वैट अतिरिक्त प्रति सेट प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम 6 में दर्शाया गया है, में नकद या किसी भी शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो ''अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस'' के पक्ष में 'हाथरस' में देय जमाकर खरीदा जा सकता है। ठेकेदार जो अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं वह जहां से निविदा प्रपत्र खरीदेंगें, वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र (Bidding document) पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक **03.09.15** को सायं 4.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा प्रत्येक निविदा प्रपत्र हेतु रू0 200/–अतिरिक्त जमा करने हेांगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी की जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा प्रपत्र बेवसाइट www.uppwd.up.nic.in & upgov.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं किन्तु इसके लिये रू0 500.00 + निविदा प्रपत्र का मूल्य+वैट जैसाकि कॉलम 6 मे अंकित है, की धनराशि का किसी शिड्यूल बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ''अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस'' के पक्ष में ''हाथरस'' में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदाप्रपत्रों के लिये सम्बन्धित कार्यो के ड्राइंग्स सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उपरोक्त टेबिल के कॉलम 8 में अंकित पते पर उपलब्ध होगी।

6. बेवसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्रों एवं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर सम्बधित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही प्रामाणिक मानी जायेगी।

7. निविदायें अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियंता के कार्यालय जिनके पते क्रमशः कॉलम 8, 9, 10 एवं 11 पर अंकित है में दिनांक **08.09.15** को दोपहर 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी एवं अगले कार्य दिवस दिनांक **09.09.15** को अपरान्ह 12.30 बजे कॉलम–10 में अंकित जिलाधिकारी के कार्यालय में निविदादाताओं, जो उपस्थित होना चाहते हैं, के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त की जायेगी व खोली जायेंगी तथा निविदाओं की वैद्यता मूल तिथि से मानी जायेगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि, जैसा की कालम–5 में दर्शाया गया है, को संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि, एन0एस0सी0 अथवा किसी शिड्यूल बैंक/पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा रसीद के रूप में ''अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस'' के नाम बन्धक होगी। धरोहर धनराशि की वैद्यता निविदा की वैद्यता के 45 दिन बाद तक की मान्य होगी।

9. यदि निविदादाता या उसके वैवाहिक साथी (पति/पत्नी) के निकट सम्बन्धी (प्रथम खून के रिश्ते या उनके वैवाहिक साथी के रूप में परिभाषित) खण्ड/वृत्त में खण्डीय लेखाधिकारी या अवर अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता (दोनों को सम्मिलित करते हुये) की हैसियत के अधिकारी कार्यरत हैं तो उसे निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में निविदादाता को खण्ड/वृत्त में कार्यरत रिश्तेदार का स्पष्ट नाम व पदनाम दर्शाते हुये एक एफीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. राजपत्रित रैंक के अभियन्ता अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अभियन्त्रण विभाग में अभियन्त्रण अथवा प्रशासनिक सेवा में कार्य किये हुये किसी दूसरे राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त दो साल की अवधि तक सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार के रूप में कार्य नहीं करने दिया जायेगा यदि ठेकेदार अथवा उसका कोई कर्मचारी उपरोक्तानुसार व्यक्ति पाया जाता है जिसने निविदा डालने से पहले अथवा ठेकेदार की सेवा में आने से पहले सरकार से अनुमति नहीं ली होगी तो उसका ठेका निरस्त किये जाने के लिये संभाव्य है।

11. निविदा प्रपत्र एवं निविदा दाताओं की अर्हता सूचना तथा पात्रता, कसौटी सम्बन्धी दूसरे विवरण, नक्शा, विशिष्टियों, ड्राईंग (रेखा चित्र) कार्यो के मात्राओं की सूची (शिड्यूल ऑफ क्वान्टिटी) तथा टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स का विवरण जो ठेकेदार द्वारा स्वीकार की जानी है टेबल के कॉलम नं0 8 में उल्लेखित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में दि0 01.09.15 से 07.09.15 तक कार्यकारी दिवसों में सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक देखी जा सकती हैं।

12. किसी भी निविदादाता जिसका अपराधिक रिकार्ड है, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

13. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

14. रू0 10.00 लाख के ऊपर के कार्यो के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्नक–1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सारी सूचनायें एफीडेविट के रूप में देनी होगी, जिससे कि निविदादाता के बिड कैपसिटी (कार्य्र करने की निविदा क्षमता) आंकलित की जा सके। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कैपेसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपिसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं, उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।

15. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रोफार्मा (टी–4, टी–5, टी–6) में जमा करना अनिवार्य होगा।

16. **महत्वपूर्ण –** रूपया दस लाख से अधिक लागत की निविदायें दो भागों में प्रस्तुत की जायेंगी, निविदा भाग–1 में तकनीकी निविदा तथा निविदा भाग–2 में वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर दो लिफाफों को तीसरे लिफाफे (जिसमें निविदादाता का नाम एवं कार्य का नाम अंकित होगा) में सीलबन्द करते हुये निविदा डाली जायेगी।

17. जिन ठेकेदारों द्वारा कम प्रतिशत दर पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2 लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में अनुबन्ध गठन के समय निम्नानुसार अतिरिक्त परफार्मेस सिक्योरिटी ली जायेगी।
    (अ) जिन ठेकेदारों द्वारा दस प्रतिशत तक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।
    (ब) जिन ठेकेदारों द्वारा दस प्रतिशत से अधिक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।

18. सभी कार्यो की डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष बाद तक होगीं

19. निविदा केवल वैद्य पंजीकरण प्रमाणपत्र, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र धारकों को ही बेची जायेगीं।

20. सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी कारण बतायें निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

21. ठेकेदार को निविदा स्वीकृत के उपरान्त उ0प्र0 भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा उत्तर प्रदेश नियमावली 2009 के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, अलीगढ़ के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(जी0एस0 वर्मा)
अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।